बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:: आदेश ::–

संख्या–17/विविध–03–07/2018, सा०प्र०......................../ पटना–15, दिनांकः–...................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्त्तों के तहत तथा विभाग स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारियों को निम्नांकित शर्त्तों के साथ संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पद पर नियोजित किया जाता हैः–

क्र0	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्री अरूण कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी	22.12.1957 31.12.2017	वित्त विभाग
2	श्री शिवजी राय, प्रशाखा पदाधिकारी	22.01.1958 31.01.2018	सामान्य प्रशासन विभाग
3	श्री सुधीर कुमार बैठा, प्रशाखा पदाधिकारी	13.01.1958 31.01.2018	आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
4	श्री अनिल कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी	10.02.1958 28.02.2018	गृह विभाग (कारा शाखा)
5	श्री उमाशंकर सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी	16.01.1958 31.01.2018	स्वास्थ्य विभाग
6	श्री परमहंस चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी	24.02.1958 28.02.2018	पथ निर्माण विभाग
7	श्री श्रीकृष्ण सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी	25.01.1957 31.01.2017	सामान्य प्रशासन विभाग

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) संकल्प की कंडिका–3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ग) संकल्प की कंडिका–3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(घ) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ङ.) संकल्प की कंडिका–(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

(च) संकल्प की कंडिका–(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–07/2018, सा०प्र०......................../ पटना–15, दिनांकः–.................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–07/2018, सा०प्र०......................../ पटना–15, दिनांकः–..............

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/संयुक्त सचिव (स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15 एवं 16, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित नियोजित प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–07/2018, सा०प्र० 1835 / पटना–15, दिनांकः– 7-2-18

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/2/18
सरकार के अवर सचिव।